"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक. जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 जनवरी 2013—माघ 9, शक 1934

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम 1957 का 67) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 10 के उप-नियम (1) में शब्द एवं अंक "रु. 250.00 (रु. दो सौ पचास)" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रु. 1000 (रु. एक हजार)" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. नियम 10 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए. अर्थात् :—
"(3) फीस की रकम शासकीय कोषालय में आगम प्राप्ति शीर्ष—

0853	अलौह धातु खान और धातुकर्म उद्योग
102	खनिज संबंधी रियायती फीस, किराया और स्वामित्व (रायल्टी)
0278	छोटे खनिजों से प्राप्तियां

में जमा की जायेगी तथा मूल कोषालय रसीद (चालान) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा."

3. नियम 15 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) उत्खनन पट्टे के आवेदन पत्रों का रजिस्टर तथा उत्खनन पट्टों का रजिस्टर किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित फीस का भुगतान करने पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा :—

रु. 50.00 (रुपये पचास) पहले घण्टे या उसके भाग के लिए;

रु. 50.00 (रुपये पचास) पश्चात्वर्ती घण्टे या उसके भाग के लिए."

4. नियम 25 के उप-नियम (1) में शब्द "रु. एक हजार" के स्थान पर शब्द "रु. दस हजार" प्रतिस्थापित किया जाए.

5. नियम 27 के उप-नियम (1) की सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"सारणी

स. क्र.	क्षेत्र	शुल्क की दरें
(क)	20 हेक्टेयर से अनधिक क्षेत्र	न्यूनतम रु. 1000/- (रुपये एक हजार) के अध्यधीन रहते हुए रु. 500/- (रुपये पांच सौ) प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिए
(ख)	20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र	रु. 1000/- (रुपये एक हजार) प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिए"

6. नियम 30 में,—

(1) उप-नियम (8) में, शब्द एवं अंक "रु. 200.00" के स्थान पर शब्द एवं अंक "रु. 500/- (रुपये पांच सौ)" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) उप-नियम (16) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "रुपये पांच हजार" प्रतिस्थापित किया जाए.

(3) उप-नियम (20) के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(घ) प्रकरण में यदि पट्टेदार, खण्ड (क), (ख) एवं (ग) में यथा निर्धारित समयावधि/तिथि में जानकारी (विवरणी) प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो रु. 500/- (रुपये पांच सौ) प्रतिमाह अथवा उसके भाग के लिए शास्ति तब तक अधिरोपित की जाएगी, जब तक कि वह उक्त जानकारी (विवरणी) प्रस्तुत नहीं करता है."

7. नियम 35 के उप-नियम (1) के परन्तुक में शब्द एवं अंक "रु. 1000.00 (रुपये एक हजार) के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)" प्रतिस्थापित किया जाए.

8. नियम 53 में,—

(1) उप-नियम (1) में, शब्द "रुपये पांच हजार" के स्थान पर, शब्द "रुपये पच्चीस हजार" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) उप-नियम (5) में, शब्द "रुपये एक हजार" के स्थान पर, शब्द "रुपये पांच हजार" प्रतिस्थापित किया जाए.

(3) उप-नियम (5) के परन्तुक में, शब्द "रुपये पांच सौ" के स्थान पर शब्द "रुपये एक हजार" प्रतिस्थापित किया जाए.

9. नियम 56 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"56. **राजस्व का जमा किया जाना.—**

(1) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या पंचायतों के नियंत्रण के अंतर्गत गौण खनिज से प्राप्त राजस्व ब्याज सहित नियम 10 के उप-नियम (3) के अनुसार प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किया जायेगा. राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर, यदि विधान सभा ने विनियोग

के द्वारा ऐसा उपबन्ध किया है, तो संचित निधि से ऐसी समस्त रकम आहरित करेगी, जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों के राजस्व से प्राप्त हुई हो और जिसका संवितरण किया जाना है.

(2) उप-नियम (1) के अनुसार आहरित राशि, गौण खनिज के उत्खनन एवं उससे संबंधित प्रक्रियाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा विहित प्रक्रिया एवं निर्देश के अनुसार वितरित की जायेगी.

(3) उपरोक्त उप-नियम (1), गौण खनिज "रेत" से प्राप्त राजस्व जो कि सीधे संबंधित नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत या पंचायतों में जमा होता है, पर लागू नहीं होगा.

10. नियम 60 के शीर्षक एवं उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"60. **अपील के लिए आवेदन.**—

(1) आवेदन, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप इक्कीस में तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा. अपील के लिये आवेदन के साथ कोषालय रसीद यह दर्शाते हुए संलग्न की जायेगी कि एक हजार रुपये का शुल्क लेखा के शीर्ष —

0853	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग
102	खनिज संबंधी रियायती फीस, किराया और स्वामित्व (रायल्टी)
0278	छोटे खनिजों से प्राप्तियां

के अंतर्गत शासकीय कोषालय में जमा कर दिया गया है और मूल कोषालय रसीद (चालान) आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी."

11. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-29/2012/12, दिनांक 28-1-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

Raipur, the 28th January 2013

NOTIFICATION

No. 7-29/2012/12.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In sub-rule (1) of rule 10 for the words and figures "Rs. 250/- (Rs. Two Hundred Fifty)" the words and figures "Rs. 1000/- (Rs. One Thousand)" shall be substituted.

2. For sub-rule (3) of rule 10, the following shall be substituted, namely :—
"(3) The amount of fee shall be deposited in the Government Treasury under the revenue receipt head

0853	Non ferrous Mining and Metallurgical Industry
102	Mineral concession fees, rent and royalties
0278	Receipt from minor minerals

and the original treasury receipt (challan) shall be attached to the application."

3. For sub-rule (2) of rule 15, the following shall be substituted, namely :—
"(2) The register of application for quarry leases and the register of quarry leases shall be open for inspection by any person on payment of the following fee :—

Rs. 50.00 (rupees fifty) for the first hour or part thereof;

Rs. 50.00 (rupees fifty) for subsequent hour or part thereof."

4. In sub-rule (1) of rule 25, for the words "Rs. One thousand", the words "Rs. ten thousand" shall be substituted.

5. For the table of sub-rule (1) of rule 27, the following shall be substituted, namely :—

"TABLE

S. No.	Area	Rates of fees
(a)	Area not exceeding 20 hectares	Rs. 500/- (rupees five hundred) per hectare or part thereof subject to a minimum of Rs. 1000/- (rupees one thousand)
(b)	Area exceeding 20 hectares	Rs. 1000/- (repees one thousand) per hectare or part thereof"

6. In rule 30,—
(1) In sub-rule (8), for the words and figure "Rs. 200/- (Rupees Two Hundred", the words and figure "Rs. 500/- (rupees five hundred)" shall be substituted.

(2) In sub-rule (16), for the words "rupees one thousand", the words "rupees five thousand" shall be substituted.

(3) After clause (c) of sub-rule (20) the following shall be added, namely :—
"(d) In case if leassee fails to submit the information in period/date as prescribed in clause (a), (b) and (c), a penalty of Rs. 500/- (rupees five hundred) per month or part thereof may be imposed till he produces the said information."

7. In proviso to sub-rule (1) of rule 35, for the words and figure "Rs. 1000/- (Rupees One Thousand)", the words and figure "Rs. 10,000/- (rupees ten thousand)" shall be substitued.

8. In rule 53,—
(1) In sub-rule (1), for the words "five thousand rupees", the words "twenty five thousand rupees" shall be substituted.

(2) In sub-rule (5), for the words "rupees on thousand", the words "rupees five thousand" shall be substituted.

(3) In proviso to sub-rule (5), for the word and figure 'Rs. 500/-", the words "rupees one thousand" shall be substituted.

9. For rule 56, the following shall be substituted, namely:—

"56. **Deposit of revenue.—**

(1) The revenue with interest from minor minerals under the provisions of these rules within the control of Municipal Corporation, Municipality, Nagar Panchayat or Panchayats, shall be first deposited in the Consolidated Fund of the State as per sub-rule (3) of rule 10. The State Government at the beginning of the financial year, if the Legislative Assembly has provided by an appropriation, shall draw from the Consolidated Fund all such amount which is to be distributed from the revenue of the minor minerals received in the preceding financial year.

(2) The amount drawn as per sub-rule (1), shall be distributed for development of the areas affected by quarrying and related operaiton of minor minerals as per the directions and procedure prescribed by the State Government.

(3) Above sub-rule (1) shall not apply to the revenue received from minor meneral "Sand" which is directly deposited to the Municipal Corporation/Municipality/Nagar Panchayat or Panchayats.

10. For heading and sub-rule (1) of rule 60, the following shall be substituted, namely : —

"60. **Application for appeal.—**

(1) An application shall be made in triplicate in FORM XXI appended to these rules. The application for appeal shall be accompanied by a treasury receipt showing that a fee of one thousand rupees has been paid in to Government Treasury under the head of Account

0853	Non ferrous Mining and Metallurgical Industry
102	Mineral concession fees, rent and royalties
0278	Receipt from minor minerals

and the original treasury receipt (challan) shall be attached to the application."

11. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.